राजस्व वाद संख्या 123/2019 अनवान महेश कुमार बनाम परमानन्द

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
15.10.19	पत्रावली पेश हुई। वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण स्वंय उपस्थित। वादीगण के अधिवक्ता को सुना गया। वादीगण ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार है जो हिन्दू विधि से शासिमत होते है जो पूर्व पुरूष नखतमल के वंशज है। जिसकी पैतृक खातेदारी का खेत मौजा गूंगा तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 743, 741 रकबा कमशः 104.15, 122.19 बीघा कुल रकबा 227.14 बीघा व खसरा नम्बर 749, 750, 1207/750 रकबा कमशः 1.05, 70.07, 228 बीघा का आया हुआ है। जो खातेदारी का खेत वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुआ है। उक्त खातेदरी खेत पुश्तौनी है, वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के जन्म से ही प्रतिवादीगण क साथ अधिकार पैदा हो चुके है। मौज गूंगा तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 743, 744 रकबा कमशः 104.15, 122.19 बीघा कुल रकबा 227.14 बीघा वादीगण का 4/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा बनता है तथा खसरा नम्बर 749, 750, 1207/750 रकबा कमशः 1. 05, 70.07, 228 बीघा भूमि में वादीगण का 4/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 5/15 हिस्सा बनता है। साथ ही वर्तमान खाते की स्थिति अनुसार कृषि जोतों में वादीगण संख्या 1 से 4 भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ स्व. नखतमल के पोत्र/पौत्रिया होने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार उनके जन्म के साथ ही अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदरी अधिकार है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के साथ उनके हिस्से की भूमि मे मौके पर पृथक से रहवासी ढाणियों सहित वादीगण काबिज काश्त है। वादगीण को प्रतिवादीगण संख्या 1 के साथ सह खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी होने से वादीगण यह वाद खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया है। वादीगण का वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में पुश्तैनी रेकर्ड में वादग्रस्त आराजी के संबंध मे वर्तमान जमाबंदी, तथा तहसीलदार शिव से जवाब के अनुसार, ग्राम पंचायत गूंगा मे प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य वारीसो की सुची तथा प्रतिवादीगण द्वार पेश राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण के वादग्रस्त आराजी के ग्राम गूंगा तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 743, 744 रकबा कमशः 104.15, 122.19 कुल रकबा 227.14 बीघा में वादीगण का 4/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा बनता है तथा खसरा नम्बर 749, 750, 1207/750 रकबा कमशः 1.05, 70. 07, 228 बीघा भूमि में वादीगण का 4/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 5/15 हिस्से को सहखातेदार घोषित करने हेतु सहमति प्रदान की है। प्रतिवदीगण ने दावे के समर्थन में अपना सहमति राजीनामा प्रस्तुत किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने सहमति जाहिर की सहमति अनुसार वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया। हमने वाद में अंकित तथ्यों पर दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादगण वर्तमान जमाबंदी नकल, आंशिक नक्शा कोपी ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा जारी वारीस नामे का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सम्पति की है। जो उन्हें स्व. नखतमल से विरासत मे प्राप्त हुई थी। संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार परमानन्द के चार जीवीत संतान है जिसमे 3 पुत्र व 1 पुत्री कमशः महेश कुमार, भीखचन्द, शकुन्तला, मनीष कुमार है। पुश्तैनी भुमि के आधार पर वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादीगण का प्रतिवादीगण संख्या 1 के साथ वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है।	सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

डिक्री पर्चा
(आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाडमेर

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. महेश कुमार पुत्र परमानन्द 2. भीखचन्द पुत्र परमानन्द 3. शकुन्तला पुत्री परमानन्द 4. मनीष कुमार पुत्र परमानन्द जाति–जोशी, नि0 गूंगा तह0 शिव		1. परमानन्द पुत्र नखतमल 2. भंवरलाल पुत्र नखतमल 3. मनोहरलाल पुत्र नखतमल जाति–जोशी, नि0 गूंगा तह0 शिव

मुकदमा नम्बर :–123/2019
दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40 RT Act

वादीगण की ओर से वकील श्री ब्रजमोहन कुमावत एवं प्रतिवादीगण स्वय उपस्थिति में आज तारीख 15.10.2019 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर तहसील शिव के ग्राम गूंगा के खसरा नम्बर 743, 744 रकबा क्रमशः 104.15, 122.19 बीघा कुल रकबा 227.14 बीघा में वादीगण का 4/5 हिस्सा एवं प्रतिवदी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 749, 750, 1207/750 रकबा क्रमशः 1.05, 70.07, 228 बीघा भूमि मे वादीगण का 4/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 5/15 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकर्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

लिहाजा वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर तहसील शिव के ग्राम गूंगा के खसरा नम्बर 743, 744 रकबा क्रमशः 104.15, 122.19 बीघा कुल रकबा 227.14 बीघा में वादीगण का 4/5 हिस्सा एवं प्रतिवदी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 749, 750, 1207/750 रकबा क्रमशः 1.05, 70.07, 228 बीघा भूमि मे वादीगण का 4/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 5/15 हिस्से की भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए। प्रतिवादीगण के साथ वादीगण को उक्तानुसार हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 11:37:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: